इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 14] भोपाल, गुरुवार, दिनांक 12 जनवरी 2023—पौष 22, शक 1944

वाणिज्यिक कर विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2023

क्रमांक CT/4/0001/2022-Sec-1-05(CT) (01) : मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 70–क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 तथा अनुसूची 2 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :–

संशोधन

1. उक्त अधिनियम की अनुसूची–1 में,–

(क) अनुक्रमांक 47 एवं उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात,–

(1)	(2)	(3)	
"47	मदिरा	(एक)	जब ऐसे व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाए, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत एफ.सी.एल.1 / एफ.सी.एल.2 / एफ.सी.एल. 1क / एफ.सी.एल.2क / एफएलएपीसी अनुज्ञप्ति धारक हों ; या

		(दो)	जब ऐसे व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाए, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत आर.डब्लू.एस.1 अनुज्ञप्ति धारक हों तथा इस शर्त के अध्यधीन हो कि उक्त मदिरा, मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत बी–3क अनुज्ञप्ति धारक से मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 के अंतर्गत कर का भुगतान कर क्रय किया गया हो ; या
		(तीन)	जब ऐसे व्यवसायी द्वारा विक्रय किया जाए, जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बने नियमों के अंतर्गत आर.डब्लू.एस.2 अनुज्ञप्ति धारक हों तथा इस शर्त के अध्यधीन हो कि उक्त मदिरा मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) की धारा 9 के तहत कर का भुगतान कर क्रय की गई हो. ''

(ख) इस प्रकार प्रतिस्थापित किए गए अनुक्रमांक 47 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक एवं उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित किए जाएं, अर्थात,–

(1)	(2)	(3)
''47–क	हनुमान आजीविका स्वसहायता समूह, ग्राम कोछा, ब्लॉक कट्ठीवाड़ा, जिला अलीराजपुर एवं मां नर्मदा अजीविका स्वसहायता समूह, ग्राम भाखामाल, ब्लॉक अमरपुर, जिला डिण्डोरी द्वारा निर्मित मदिरा	निर्माता द्वारा मदिरा के उत्पादन प्रारंभ किए जाने के दिनांक, जैसा कि आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा प्रमाणित किया जाए, से एक वर्ष के भीतर, स्वयं निर्माता द्वारा अथवा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम, 1915 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अंतर्गत जारी समुचित अनुज्ञप्ति धारक किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी मदिरा का मध्यप्रदेश के भीतर विक्रय किया गया हो।''

2. अधिनियम की अनुसूची–2 में,–

(अ) भाग–दो के अनुक्रमांक 56 के सम्मुख, कॉलम (2) में, अक्षर, बिंदु एवं अंक, ''एफ.एल.4–ए'', अक्षर, बिंदु एवं अंक, ''एफएल2–कक'', प्रतिस्थापित किया जाए

(ब) भाग–तीन क के अनुक्रमांक 6 के सम्मुख, कॉलम (2) में, अक्षर, बिंदु एवं अंक, ''एफ.एल.4–ए'', अक्षर, बिंदु एवं अंक, ''एफएल2–कक'', प्रतिस्थापित किया जाए

3. यह अधिसूचना दिनांक 01.04.2022 से प्रभावशील होना मानी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 12 जनवरी 2023

क्र. CT-4-2001-Sec-2022-1-पांच (CT).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-4-0001-Sec-1-2022-पांच (CT) (01), दिनांक 12 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.

Bhopal, the 12th January 2023

No. CT/4/0001/2022-Sec-1-05(CT) (01) : In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70-A of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002), the State Government, hereby, makes the following further amendments in schedule I and schedule II of the said Act, namely :-

AMENDMENTS

1. In Schedule-I of the Act,

(a) the Serial No. 47 and entries relating thereto, the following Serial No. and entries relating thereto, shall be substituted, namely,-

(1)	(2)	(3)	
"47	Liquor	(i)	when sold by a dealer, who holds F.C.L.1/F.C.L.2/F.C.L.1A/F.C.L.2A/FLAPC license issued under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made thereunder; or
		(ii)	when sold by a dealer who holds R.W.S.1 license issued under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made thereunder, subject to the condition that such liquor is purchased by him from holder of B-3A license issued under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made thereunder, after payment of tax under section 9 of Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002) ; or
		(iii)	when sold by a dealer who holds R.W.S.2 license issued under the Madhya Pradesh Excise Act, 1915 and the Rules made there under, subject to the condition that such liquor is purchased by him after payment of tax under section 9 of Madhya Pradesh VAT Act, 2002 (No. 20 of 2002).

(b) after Serial No. 47 as so substituted the following Serial No. and entries relating thereto shall be inserted, namely, -

(1)	(2)	(3)
"47-A	Liquor, manufactured by Hanuman Ajivika Swayamsahayata Samuh, Village Kochha, Block Katthiwada, Dist. Alirajpur and Maa Narmada Ajivika Swayamsahayata Samuh, Village Bhakhamal, Block Amarpur, Dist. Dindori.	When sold in the State of Madhya Pradesh by the manufacturer or by any person holding the appropriate license issued under the Madhya Pradesh Excise Act,1915 and the Rules made there under and such liquor is sold within a period of one year from the date of commencement of production of liquor by the manufacturer, as certified by the Excise Commissioner of Madhya Pradesh."

2. In schedule-II of the Act, -

(i) in part-II, in column (2) of entry No. 56, the letters, dots and numbers "F.L.4-A" shall be substituted by the letters, dots and numbers "FL2-AA" .

(ii) In part-III-A, in column (2) of entry No. 6, ,the letters, dots and numbers "F.L.4-A" shall be substituted by the letters, dots and numbers "FL2-AA".

3. These amendments shall deemed to have come into force from 01.04.2022.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2023.